



(निबंधित प्राप्ति रसीद सहित)

Registered with A/D

BR/10329

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन,
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

क्षेत्रीय कार्यालय, बिहार
REGIONAL OFFICE, BIHAR

भविष्य निधि भवन

Bhawishya Nidhi Bhawan

रोड नं० 6 आर० ब्लॉक, पटना -800 001

Road No. 6, R. Block, Patna-800 001

संख्या बी०आर०/प्र०अनु - 1/व्याप्ति/...../.....

No. BR/E.B-1/Appl / 10329 / 2010 / 11881

दिनांक 21/12/10

Date the

सेवा में,

To,

M/s मेसर्स Integrated Development Foundation
House of Mr. S.C. The Mausye Path House
No. 964, Circle No. 268 Sanyam Nagar
Khatyapur Pakh - 14

विषय: कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 और उसके अंतर्गत रचित स्कीमों का मेसर्स.....

पर लागू होना।

Sub: Applicability of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions

Act, 1952 and the Scheme framed thereunder to M/s. Integrated Development Foundation

महोदय,

Sir,

आपके द्वारा दिनांक को प्रेषित विवरण के आधार पर और आपकी स्थापना का भविष्य निधि निरीक्षक/ प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक..... को किए गए निरीक्षण के आधार पर स्पष्ट होता है कि :-

On the basis of particulars furnished by you on 30/11/10 and on the basis of the inspection of the record of your establishment conducted by the Provident Fund Inspector / Enforcement officer on..... it is evident that:

- (क) आपकी स्थापना/फैक्ट्री अर्थात् मेसर्स..... जो कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 में स्थापनाओं की श्रेणियों/अनुसूची-1 में शामिल..... कार्य में लगी हुई है।

16
Nivedita
9-11

Integrated Development Fund

(a) Your establishment/factory viz. M/s *Export Services* is engaged in *Export Services* which is included in Schedule I/classes of establishment in Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952.

(ख) उक्त स्थापना/फैक्ट्री में दिनांक को व्यक्ति कार्यरत है।

(b) that the said establishment has employed *20 (Twenty)* persons on *1/10/10*.

(ग) इसने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 की धारा 16(1) (ख) के उपबन्धों के अन्तर्गत को 5/3 वर्ष की प्रारम्भिक अवधि पूरी कर ली है। अतः कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 और उके अंतर्गत रचित स्कीमें, उपरोक्त नामित स्थापना, इसके मुख्य कार्यालय और इसकी शाखाओं/विभागों पर चाहे वे एक स्थान पर है अथवा विभिन्न स्थानों पर है अथवा विभिन्न स्थानों पर हैं.....तारीख से स्थायी-अस्थायी रूप से इस शर्त पर लागू है, कि आपके पूर्व रिकार्डों की पुनः जाँच की जाएगी।

(c) that it has completed the infancy period in terms of provisions of Sec. 16(1) of the Employee's Provident Funds & Miscellaneous provisions Act, 1952 of 5/3 years on.....therefore, the provisions of the E.P.F. and Misc. Provisions Act, 1952 and the Scheme framed there under are applicable to your above named establishment together with head office and its branches/departments whenther situated at the same palce or at different places with effect from *1/10/10* finally/provisionally subject to further verification of your records for the earlier period.

अधिनियम की धारा (4) के अन्तर्गत स्वैच्छिक आधार पर कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम आपकी स्थापना पर लागू करने के लिए आपसे प्राप्त आवेदन पत्र संख्या..... दिनांक के संदर्भ में आपकी स्थापना अर्थात्

मेसर्स.....को कोड संख्या..... एलाट किया जा रहा है। अभी आपकी स्थापना को कार्यक्षेत्र में अस्थायी रूप से दिनांक..... से लाया जा रहा है, जब तक सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 की धारा (1) उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारत सरकार अधिसूचना जारी नहीं कर लेती।

With reference to your application No.....date.....received for extension of E.P.F. & Misc. Provision Act, 1952 under Section 1(4) of the said Act, on a voluntary basis a code no.....is hereby allotted to your establishment namely..... provisionally covering your establishment with effect frompending issue of a notification by the Government of India in exercise of the powers conferred on them by subsection (4) of Section 1 of the E.P.F. & Misc. Provision Act. 1952.

2. आपकी स्थापना को कोड नम्बर..... कर्मचारी, भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 और उसके अन्तर्गत रचित स्कीमों अर्थात् भविष्य निधि स्कीम, 1952 कुटुम्ब पेंशन स्कीम 1971, क० पे० यो० 16.11.95 से प्रभावी और निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 के विभिन्न उपबन्धों के अनुपालन के लिए आवंटित किया गया है। यह कोड नम्बर इस कार्यालय के साथ पत्राचार करते समय अनिवार्य रूप से उद्धृत किया जाना चाहिए।

The code No. BR/*10329*.....is allotted to your estt. for the purpose of making compliance with the various provisions of the E.P.F. & Misc. Provisions Act. 1952 F.P.F. Scheme, 1971, Employees Pension Scheme W.E.F. 16.11.95 and Deposit Linked Insurance Scheme, 1976. This Code No. should invariably by quoted in all the corresponding with this office.

नियोक्ता द्वारा देय अंशदान की दर मूल वेतन मंहगाई भत्ता (किसी भी खाद्य रियायत की नकद मूल्य सहित) निर्वाह भत्ता यदि कोई है, प्रत्येक कर्मचारी को 8.33/10, और w.e.f 22.9.97 से 12 प्रतिशत की दर से प्रतिमाह देय होगा। कर्मचारी द्वारा देय अंशदान की दर नियोक्ता द्वारा देया दर के समान होगी।